



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक संवत्) [संख्या 29

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	381—414	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	737—808	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	49—50	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1145—1172	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	455—458	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

प्रारूप-19
(नियम-27 का उपनियम (1))
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

15 जुलाई, 2025 ई0

अधिसूचना

सं0 273/वि0भू0अ0अ0/न0प0पा0/आगरा-आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अटलपुरम योजना के निर्माण हेतु जनपद व तहसील आगरा के ग्राम ककुआ स्थित 8.3301198 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 188/वि0भू0अ0अ0/न0म0पा0/आगरा दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 11 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आगरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर आगरा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला आगरा तहसील सदर आगरा परगना आगरा ग्राम ककुआ की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इस के साथ संलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
आगरा	सदर आगरा	आगरा	ककुआ	412	0.2090
				413	0.2090
				415	0.4180
				416	0.8440
				417	0.8440
				418	0.07317
				442	0.7170
				447	0.0304
				524	0.9070
				525	0.3020
				529	0.2000
				530	0.1000
				531	0.0870
				532	0.0870
				608	0.0416666
				609	0.3768333
				610	0.2366666
				611	0.0783333
				623	0.0437
				648	0.0230
				656	0.0170
				662	0.7280
				707	0.0520
				722	0.2211
				726	0.9720
				728	0.04675
				754	0.4455
				826	0.0200
				योग	8.3301198

अनुसूची-ख**(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)**

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
					----- शून्य -----

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा भूमि अध्याप्ति कलेक्टर आगरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा ग्राम-ककुआ में अटल पुरम योजना के निर्माण हेतु जनपद आगरा परगना आगरा तहसील सदर आगरा के ग्राम ककुआ में स्थित 8.3301198 हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
कलेक्टर, आगरा।

FORM-19**Sub-Rule(1) of Rule 27)****DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR****(UNDER SUB-SECTION(1) OF SECTION 19 OF THE ACT)****GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**

15 July, 2025

NOTIFICATION

No-273/S.L.A.O./N.M.P/AGRA-Whereas Preliminary Notification No. 188/S.L.A.O./N.M.P/ AGRA Dated 09 April, 2025 was issued under Sub-Section(1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 8.3301198 hectares of land in Village - Kakua, Pargana Agra, Tehsil - Sadar Agra, District - Agra is required for public purpose, namely project Atal Puram Yojana through Agra Development Authority, Agra and lastly published on

dated 11 *July*, 2025. The Deputy Collector/ Assistant Collector - A.D.M (F/R) Agra was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector (L.A) submitted in pursuance to provision under Sub Section (2) of the Section 15 of the Act, the Collector Agra is declare under Section 19(1) of the Act Under the power of Governor with government order dated 06 *August*, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in Village –Kakua , Pargana Agra, Tehsil-Sadar Agra, District-Agra, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Agra to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>
Agra	Sadar Agra	Agra	Kakua	412	0.2090
				413	0.2090
				415	0.4180
				416	0.8440
				417	0.8440
				418	0.07317
				442	0.7170
				447	0.0304
				524	0.9070
				525	0.3020
				529	0.2000
				530	0.1000
				531	0.0870
				532	0.0870
				608	0.0416666
				609	0.3768333
				610	0.2366666

1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>
Agra	Sadar Agra	Agra	Kakua	611	0.0783333
				623	0.0437
				648	0.0230
				656	0.0170
				662	0.7280
				707	0.0520
				722	0.2211
				726	0.9720
				728	0.04675
				754	0.4455
				826	0.0200
				Total	8.3301198

SCHEDULE- B**(LAND IDENTIFIED SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>
----- NIL -----					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR**[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]**

By the order of declaration made under Government Notification No. 188/S.L.A.O/ N.M.P/ AGRA Dated 9 April, 2025 for 8.3301198 hectares of land in Village - Kakua, Pargana Agra, Tehsil - Sadar Agra, District - Agra is required for public purpose, namely, project Atal Puram Yojana through Agra Development Authority I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government Notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By order,
Collector/Authorised Officer.